

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103002292016

दांडिक प्रकरण क.-252 / 16

संस्थापित दिनांक-04.08.16

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर। <div>.....अभियोजन</div>	
विरुद्ध	
01-भागीरथ पुत्र मंगू जाति अहिरवार उम्र 28 वर्ष निवासी श्यामगढ थाना चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0। <div>.....आरोपी</div>	
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपी द्वारा	:- श्री चौरसिया अधिवक्ता।

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 25.05.2017 को घोषित)

- 01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत 25, 27 आर्म्स एक्ट के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।
- 02— प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।
- 03— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी

रामसिंह ने दिनांक 09.06.16 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध की कि घटना दिनांक को वह आमद सूचना की तस्दीक हेतु हमराह फोर्स शासकीय वाहन से रवाना होकर राजघाट रोड बढेरा के पास पहुंचा तो सामने से एक बोलेरो सफेद रंग की क्रमांक यूपी 64 टी 2500 आती दिखी जिसके चालक ने पुलिस की गाड़ी देखकर तुरंत बोलेरो ब्रेक कर राजघाट तरफ भगाने लगा जिसका शासकीय गाड़ी से पीछा किया तो उक्त गाड़ी का चालक बोलेरो को नाले के आगे रोड किनारे खड़ी कर नाले तरफ भागा जो भागते समय पत्थरों व झाड़ियों में गिर गया जिससे उसके शरीर में खरोंच के निशान आ गए, जिसे हमराह फोर्स की मदद से घेर कर मौके पर पकड़ा एवं नाम, पता पूछने पर उसने अपना नाम भागीरथ पुत्र मंगू अहिरवार निवासी श्यामगढ बताया। शंका होने पर उस व्यक्ति की तलाशी ली तो उसके दाहिने तरफ पेंट की जेब में एक 315 बोर का लोडेड कटटा व एक जिंदा राउंड पृथक से रखा मिला एवं कटटे को खोलकर देखने पर उसके चेंबर में एक जिंदा राउंड 315 बोर का लगा मिला जिन्हें रखने बाबत वैध लायसेंस चाहा, तो आरोपी ने न होना बताया। फिर उक्त कटटा, राउंड को मुताबिक जप्ती पंचनामा समक्ष पंचान मौके पर शील्ड किया और आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया एवं पंचनामा बनाया एवं वाहन बोलेरा यूपी 94 टी 2500 को जप्त किया। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 263/16 के अंतर्गत 25, 27 आयुध अधिनियम के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध धारा 25 (1-बी)(बी)/27 आयुध अधिनियम के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया तथा आरोपी ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपी ने दिनांक 09.06.16 को समय 18.20 बजे राजघाट रोड पुलिस चौकी के पहले, नाले के पास चंदेरी पर एक 315 बोर का लोडेड कटटा को आयुध अधिनियम की धारा 24 (क) के अधीन मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना 6312-6552-1-बी (1) दिनांक 22.11.74 के उल्लंघन में बिना अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में रखे हुये दूकान में लूटते हुए पाये गये ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

06— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 भागीरथ, अ.सा. 02 राम विनायक सिंह, अ.सा. 03 अजीत सिंह, अ.सा. 04 कलेक्टर सिंह, अ.सा. 05 राजेश श्रीवास्तव, अ.सा. 06 तेजसिंह, अ.सा. 07 जगदीश, अ.सा. 08 आर एस राजौरिया की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

07— अभियोजन साक्षी 01 भागीरथ ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार वे लोग घटना दिनांक को चिकलोटा प्लांट पर गाड़ी लेकर गए थे जहां से आरोपी को गिरफ्तार किया था तथा आरोपी से कुछ जप्त किया था या नहीं, यह उसे याद नहीं है। उक्त साक्षी के अनुसार प्रपी 02 के ए से ए भाग एवं जप्ती पत्रक प्रपी 03 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अ.सा. 02 रामविनायक ने अपने कथन में बताया है कि वह दिनांक 09.06.16 को थाना चंदेरी में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त साक्षी के अनुसार उन्हें मुखविर से सूचना मिली थी कि आरोपी भागीरथ अपराध करने की नीयत से जीप लिए बैठा है। उक्त साक्षी के अनुसार सूचना की तस्दीक हेतु एसआई राजौरिया, एसआई पैकरा, प्रधान आरक्षक हरिसिंह, तेजसिंह, आरक्षक योगेंद्र, अजीत, विपिन तथा वह स्वयं शासकीय वाहन से बढेरा गए थे तथा उक्त वाहन को देखकर आरोपी चौकी की तरफ भागा था और राजघाट चौकी के पहले उसके द्वारा वाहन को रोड के किनारे खडा कर दिया गया तथा पत्थरों व झाड़ियों की तरफ वह भाग गया था। उक्त साक्षी के अनुसार उसका

नाम, पता पूछने पर आरोपी ने अपना नाम भागीरथ बताया था तथा आरोपी के पास से एक 315 बोर का लोडेड कटटा तथा जिंदा कारतूस मिले थे।

08— अ.सा. 03 अजीत सिंह ने भी अपने कथन में बताया है कि उन्होंने उक्त घटना दिनांक को आरोपी को पकड़ा था तथा तलाशी पर आरोपी के पास से एक 315 बोर का कटटा और दो राउंड मिले थे। उक्त साक्षी के अनुसार मौके पर प्रपी 01 एवं प्रपी 02 की कार्यवाही हुई थी जिनके बी से बी भाग पर उक्त साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना बताया है। अ.सा. 06 तेजसिंह ने भी अपने कथन में बताया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी को पकड़ा था तथा आरोपी के पास से एक 315 बोर का कटटा एवं एक जिंदा कारतूस मिला था।

09— अ.सा. 08 आर एस राजौरिया द्वारा भी अपने कथनों में बताया गया है कि उक्त घटना दिनांक को टीआई साहब ने मुखविर से सूचना के आधार पर उन्हें अवगत कराया था कि आरोपी जो एक फरारी बदमाश है राजघाट चौकी के पास बैठा है। उक्त साक्षी के अनुसार सूचना की तस्दीक हेतु वह, पैकरा दरोगा, एचसी तेजसिंह, आरक्षक विपिन, अरविंद, अजीत एवं एसआई रघुवीर शासकीय वाहन से बढेरा की ओर गए थे जहां पर राजघाट चौकी से कुछ पहले बोलेरो वाहन क्रमांक यूपी 94 टी 2500 आती हुई दिखाई दी। उक्त साक्षी के अनुसार वाहन का चालक उनके वाहन को देखकर राजघाट चौकी की तरफ भागा जिसका पीछा किया गया तो आरोपी रोड किनारे वाहन खड़ा कर भागा और झाड़ियों में गिर गया। उक्त साक्षी के अनुसार पुलिस फोर्स की मदद से उसे पकड़ा गया तो आरोपी ने अपना नाम भागीरथ बताया एवं तलाशी लेने पर आरोपी के पास एक 315 बोर का लोडेड कटटा एवं राउंड मिला जिसका उसके पास लायसेंस नहीं था।

10— अ.सा. 08 के अनुसार गवाहों के समक्ष प्रपी 03 के अनुसार आरोपी से उक्त कटटा जप्त किया गया एवं प्रपी 02 के अनुसार बोलेरो वाहन जप्त किया गया

तथा आरोपी को प्रपी 01 के अनुसार गिरफ्तार किया गया। अ.सा. 08 के अनुसार उक्त सभी दस्तावेजों के सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा उनके द्वारा वापसी उपरांत प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी 07 दर्ज की गई। अ.सा. 08 के अनुसार उसके द्वारा प्रकरण में रवानगी, वापसी एवं सूचना के संबंध में सान्हा प्रपी 08 लगायत प्रपी 10 प्रस्तुत किया गया है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी के अनुसार उसके समक्ष प्रपी 06 का मानचित्र तैयार किया गया था जिसके ए से ए भाग पर उसने अपने हस्ताक्षर होना बताया है। न्यायालय में जप्तशुदा कटटा आर्टिकल ए-01 एवं राउंड आर्टिकल ए-02, आर्टिकल ए-03 उक्त साक्षी के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं।

11— अ.सा. 07 जगदीश के अनुसार उसने प्रकरण में नक्शामौका प्रपी 06 तैयार किया था तथा साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए थे। उक्त साक्षी के अनुसार उसने विवेचना के दौरान जप्तशुदा कटटा व राउंड की जांच हेतु अशोकनगर भेजा था तथा डीएम कार्यालय से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर प्रकरण में संलग्न की थी। अभियोजन स्वीकृति के संबंध में अ.सा. 05 ने अपनी साक्ष्य दी है। उक्त साक्षी के अनुसार तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति का आदेश तैयार किया गया था जो प्रपी 05 है जिसके ए से ए भाग पर उसने अपने हस्ताक्षर होना बताया है तथा बी से बी भाग पर तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर होना बताया है। अ.सा. 04 कलेक्टर सिंह द्वारा प्रकरण में जप्तशुदा कटटे एवं राउंड की जांच करना बताया गया है। उक्त साक्षी के अनुसार उसने कटटे के पार्ट्स को चेक किया था। उक्त साक्षी के अनुसार कटटा चालू हालत में था तथा फायर हो सकता था। अ.सा. 04 के अनुसार उक्त रिपोर्ट प्रपी 04 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

12— अ.सा. 03 एवं अ.सा. 06 ने अपने कथन में इस बात को स्वीकार किया है कि आरोपी अन्य प्रकरण में फरार चल रहा था तथा जेल से भाग गया था। अ.सा. 03 एवं अ.सा. 06 के अनुसार उन्होंने शासकीय वाहन से आरोपी के वाहन का पीछा किया था। अ.सा. 08 के अनुसार उसे टीआई साहब ने आरोपी के संबंध में फोन पर

सूचना दी थी। उक्त साक्षी के अनुसार उन्होंने पहले जप्ती की कार्यवाही की थी, बाद में आरोपी को गिरफ्तार किया था। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी पर इनाम घोषित हो जाने के बाद उसने उसकी गिरफ्तारी दिखाई है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अ.सा. 08 जो कि मामले का विवेचक है उसकी साक्ष्य का अनुसमर्थन सभी साक्षीगण द्वारा किया गया है। सभी साक्षीगण की साक्ष्य से यह स्पष्ट हो रहा है कि घटना दिनांक को आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी के आधिपत्य से कटटा जप्त किया गया था। अ.सा. 04 की साक्ष्य से यह प्रमाणित हो रहा है कि आरोपी के पास से जप्तशुदा कटटा चालू हालत में था। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य स्पष्ट है कि अभियोजन साक्षीगण के कथनों में ऐसा कोई विरोधाभास नहीं है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि आरोपी को प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। आरोपी की ओर से ऐसी कोई बचाव साक्ष्य अभिलेख पर नहीं आई है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि अभियोजन द्वारा झूठा मामला प्रस्तुत किया गया है।

13— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में सफल रहा है। परिणामतः आरोपी को धारा 25 (1-बी)(बी)/27 आयुध अधिनियम के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है।

14— आरोपी पूर्व से जमानत पर है तथा किसी अन्य प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में होने के कारण इस प्रकरण में जर्गे प्रोडक्शन वारंट उपस्थित हो रहा है। आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। आरोपी एवं उनके अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चन्देरी जिला-अशोकनगर

पुनश्च:-

15. आरोपी के विद्वान अधिवक्ता श्री चौरसिया का निवेदन है कि उक्त अपराध आरोपी का प्रथम अपराध है और उनका कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड नहीं है। अतः उनका निवेदन है कि आरोपी को परिवीक्षा का लाभ देकर छोड़ दिया जावे। प्रकरण में स्पष्ट है कि आरोपी द्वारा उक्त अपराध कारित किया गया है तथा प्रकरण में आरोपी से कटटे जैसा घातक आयुध जप्त किया गया है और इस प्रकार आरोपी द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यदि आरोपी को परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है तो उसका गलत संदेश समाज में जाने की संभावना है। अतः ऐसी स्थिति में आरोपी को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 एवं 4 का लाभ दिया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता।

16. जहां तक दण्ड का प्रश्न है तो निश्चित रूप से आरोपी को ऐसे दंडादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें भविष्य में ऐसे अपराध से रोके और साथ ही उनके लिए शिक्षाप्रद हो। आरोपी को ऐसे दण्डादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें न केवल विधिक प्रक्रिया के प्रति गंभीर करे, बल्कि उन्हें यह भी बोध हो कि यदि किसी के द्वारा कोई भी आयुध बिना अनुज्ञप्ति के रखा जाता है तो ऐसी दशा में उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में आरोपी को धारा 25 (1-बी)(बी)/27 आयुध अधिनियम के अपराध में 1 वर्ष के साधारण कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपी 15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा। उक्त दंडादेश आरोपी द्वारा पूर्व में भुगताये गए कारावास से समायोजित किया जावे।

17. आरोपी के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

18— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन बोलेरो सफेद रंग की क्रमांक यूपी 94 टी 2500 पूर्व से सुपुर्दगी पर है। अतः उक्त सुपुर्दनामा निरस्त समझा जावे एवं जप्तशुदा एक 315 बोर का कटटा एवं 315 बोर के दो जिंदा कारतूस मूल्यहीन होने से अपीलावधि पश्चात् नष्ट किए जावें। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन हो।

19. आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

20. आरोपी का सजा वारंट तैयार किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)